

प्रेषक,

वी0पी0 मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांक: 07 अगस्त, 2018

विषय:- उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2017 के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधा (कताई-बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति, कालेजों को अनुदान, तथा सहायक हथकरघा बुनकर कर्मियों को मानदेय) के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-417/ह0क0-नियोजन/2018-19 दिनांक 26.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पॉलिसी के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधा (कताई-बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति, कालेजों को अनुदान तथा सहायक हथकरघा बुनकर कर्मियों को मानदेय) के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश निम्नानुसार निर्गत किये जाते हैं :-

खण्ड-अ	
कताई-बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति (शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.23 में वर्णित)	
1	<p>वित्तीय सहायता का विवरण</p> <p>I. व्यवसायिक विषयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे संस्थागत छात्र/छात्रा, जो कताई-बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा-11,12) की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, को प्रोत्साहन देने के लिये रू0 500/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।</p> <p>II. योजनान्तर्गत देय छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 500/- प्रति माह की दर से माह जुलाई से माह अप्रैल तक कुल 10 माह हेतु देय है। अर्थात् एक छात्र/छात्रा को प्रतिवर्ष कुल धनराशि रू0 5000/- देय है।</p> <p>III. कताई-बुनाई विषय का कोई छात्र/छात्रा यदि किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रहा/रही है, तो उस स्थिति में भी यह छात्रवृत्ति देय होगी।</p>
	<p>पात्रता की शर्तें</p> <p>I. इस घटक के अन्तर्गत प्राविधानित वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त कालेजों के उन छात्रों को देय है, जो कताई बुनाई विषय से अध्ययनरत हैं।</p> <p>II. कताई-बुनाई 11वीं कक्षा के छात्र/छात्रा को 11वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्रवृत्ति देय होगी। इसी प्रकार 12वीं कक्षा के छात्र/छात्रा को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्रवृत्ति देय होगी।</p> <p>III. 11वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को 12वीं कक्षा में अध्ययनरत होने की स्थिति में छात्रवृत्ति देय होगी।</p>
	<p>आवेदन की प्रक्रिया</p> <p>I. छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त करने लिये सम्बन्धित छात्र/छात्रा को शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार निर्धारित प्रारूप-13 (परिशिष्ट 'क-1') पर आवेदन-पत्र सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>II. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा आवेदन-पत्र का समुचित परीक्षण करने के उपरान्त पात्र आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा।</p> <p>III. अग्रसारण-पत्र हेतु प्रारूप-16(अ) (परिशिष्ट 'क-2') निर्धारित है। जिसके साथ अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन-पत्रों की एकमुश्त सूची भी संलग्न की जायेगी। सूची हेतु प्रारूप-16(ब) (परिशिष्ट 'क-3') निर्धारित है।</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,इ : अतस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		IV. एकमुश्त सूची का अभिप्राय:- एकमुश्त सूची का अभिप्राय यह है कि किसी वित्तीय वर्ष में समस्त लाभार्थी छात्रों की सूची एकबार में ही सम्बन्धित परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त, हथकरघा को प्रेषित की जायेगी, आंशिक रूप से उसी वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार सूची प्रेषित नहीं की जायेगी।
आवेदन-पत्र का प्रसंस्करण		
प्राप्त आवेदन-पत्र पर परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर से अपेक्षित प्रक्रियाय		I. परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन-पत्र का विवरण योजनान्तर्गत सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। इस हेतु जनपदवार अलग-अलग रजिस्टर तैयार किये जायेंगे। II. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा आवेदन-पत्रों की पात्रता का परीक्षण/मूल्यांकन द्वि-सदस्यीय परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कराया जायेगा। III. परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों की सूची (बैंक-खाता एवं अपेक्षित वित्तीय सहायता के विवरण सहित) परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय (मुख्यालय) को प्रेषित की जायेगी।
परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची पर मुख्यालय स्तर से अपेक्षित प्रक्रियायें		I. मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित योजनाधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित करायी जायेगी। उक्त बैठक में परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची कमेटी के परीक्षणार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। II. राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों के पक्ष में अनुमोदित धनराशि का बजट स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। III. शासन की स्वीकृति के उपरान्त कोषागार से धनराशि आहरित कर लाभार्थी छात्रों के पक्ष में छात्रवृत्ति की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।
लाभार्थी को वित्तीय सुविधा के वितरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु समय-सीमा		I. लाभार्थी छात्र/छात्रा द्वारा सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना - माह अगस्त के प्रथम सप्ताह तक II. पात्र आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को आवेदन-पत्र उपलब्ध कराना - माह सितम्बर तक III. परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की बैठक - माह अक्टूबर तक IV. राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक - माह नवम्बर तक V. शासन द्वारा धनराशि व्यय की स्वीकृति - माह दिसम्बर तक VI. लाभार्थी के बैंक-खाते में अनुदान राशि का अन्तरण - माह जनवरी तक
परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना		I. सम्बन्धित जनपद के डी0आई0ओ0एस0 - सदस्य II. परिक्षेत्रस्तरीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - संयोजक
राज्यस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना		I. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय - अध्यक्ष II. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग - सदस्य III. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर- सदस्य IV. प्रबन्ध निदेशक, यूपिका कानपुर- सदस्य V. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान- सदस्य कानपुर VI. प्रबन्ध निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर, कानपुर -सदस्य VII. वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0- सदस्य VIII. संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0-सदस्य IX. योजनाधिकारी, वस्त्र नीति क्रियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0-सदस्य

खण्ड-ब

कताई-बुनाई विषय के प्रयोगिक कार्यों हेतु इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान (शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.24 में वर्णित)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,इ : अतस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1	अनुदान का विवरण	<p>I. इस घटक के अन्तर्गत बुनाई विषय से सम्बन्धित ऐसे कालेजों को वित्तीय सहायता अनुमन्य है जिन्हें बुनाई विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए संसाधनों के क्रय हेतु जितनी मात्रा में कुल वित्तीय सहायता अपेक्षित है, योजना की व्यवस्थानुसार एकमुश्त देय है।</p> <p>II. इस घटक के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय सहायता निम्नलिखित सामग्रियों के क्रय हेतु अनुमन्य है :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • नवीन हथकरघा के क्रय हेतु • हथकरघा के विभिन्न पार्ट्स आदि के क्रय हेतु • हथकरघा के सहवर्ती उपकरणों, यथा :- डॉबी, जैकार्ड आदि के क्रय हेतु • कच्चा माल, यथा :- सूत, रंग, रसायन आदि के क्रय हेतु <p>III. उपरोक्त समस्त मदों हेतु एकमुश्त धनराशि की अधिकतम सीमा प्रति कालेज ₹ 5.00 लाख अनुमन्य है। यह धनराशि कालेज को एकमुश्त मात्र एक बार दी जायेगी।</p>
	पात्रता की शर्तें	<p>I. इस घटक के अन्तर्गत प्राविधानित वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश के उन मान्यता प्राप्त कालेजों को देय है, जिनके पास कताई-बुनाई विषय के छात्रों को समुचित मात्रा में प्रायोगिक कार्य कराने हेतु अपेक्षित संसाधन नहीं है। अतः संसाधनों की कमी को पूर्ण करने के लिए बुनाई विषय के प्रायोगिक कार्य से सम्बन्धित आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कालेजों को यह अनुदान देय है।</p>
	आवेदन की प्रक्रिया	<p>I. शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार लाभार्थी कालेज को अपेक्षित वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रारूप-12 निर्धारित था।</p> <p>II. उक्त प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए प्रारूप-12 (संशोधित) (परिशिष्ट-ख) निर्धारित किया गया है।</p> <p>III. लाभार्थी कालेज द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप-12 (संशोधित) पर आवेदन किया जायेगा।</p>
	आवेदन-पत्र का प्रसंस्करण	
	प्राप्त आवेदन-पत्र पर परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर से अपेक्षित प्रक्रियायें	<p>I. परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन-पत्र का विवरण योजनान्तर्गत सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।</p> <p>II. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा आवेदन-पत्रों की पात्रता का परीक्षण/मूल्यांकन द्वि-सदस्यीय परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कराया जायेगा।</p> <p>III. परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों की सूची (बैंक-खाता एवं अपेक्षित वित्तीय सहायता के विवरण सहित) परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय (मुख्यालय) को प्रेषित की जायेगी।</p>
	परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची पर मुख्यालय स्तर से अपेक्षित प्रक्रियायें	<p>I. मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित योजनाधिकारी द्वारा राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित करायी जायेगी। उक्त बैठक में परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची कमेटी के परीक्षणार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।</p> <p>II. राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों के पक्ष में अनुमोदित धनराशि का बजट स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा।</p> <p>III. राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त एवं शासन की स्वीकृति के उपरान्त कोषागार से धनराशि आहरित कर लाभार्थियों के पक्ष में डी0बी0टी0 के माध्यम से मानदेय की धनराशि अन्तरित की जायेगी।</p>
	लाभार्थी को वित्तीय सुविधा के वितरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु समय-	<p>I. लाभार्थी कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को आवेदन-पत्र उपलब्ध कराना - माह सितम्बर तक</p> <p>II. परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की बैठक - माह अक्टूबर तक</p> <p>III. राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक - माह नवम्बर तक</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,इ : अतस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सीमा	IV. शासन द्वारा धनराशि व्यय की स्वीकृति - माह दिसम्बर तक V. लाभार्थी के बैंक-खाते में अनुदान राशि का अन्तरण - माह जनवरी तक
परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	I. सम्बन्धित जनपद के डी0आई0ओ0एस0 - सदस्य II. परिक्षेत्रस्तरीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - संयोजक
राज्यस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	I. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय - अध्यक्ष II. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग - सदस्य III. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर- सदस्य IV. प्रबन्ध निदेशक, यूपिका कानपुर- सदस्य V. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर- सदस्य VI. प्रबन्ध निदेशक, पावरलूम सर्विस सेन्टर, कानपुर-सदस्य VII. वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0- सदस्य VIII. संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0-सदस्य IX. योजनाधिकारी, वस्त्र नीति क्रियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0- सदस्य

खण्ड-स हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को मानदेय (शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.25 में वर्णित)		
1	वित्तीय सहायता का विवरण	I. 15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति, जो हथकरघा वस्त्रों की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे सहायक कर्मियों को दो वर्षों तक रू0 1000/- प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।
2	पात्रता की शर्तें	I. लाभार्थी की आयु 15 वर्ष से 22 वर्ष के बीच हो। II. लाभार्थी को इस घटक के अन्तर्गत प्राविधानित वित्तीय सहायता उन्हीं हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को देय है, जो किसी हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के सदस्य है तथा समिति जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा समिति द्वारा जी0एस0टी0 रिटर्न नियमित रूप से दाखिल किया जा रहा हो। साथ ही समिति कार्यरत अवस्था में हो। III. लाभार्थी का विवरण सम्बन्धित समिति के अभिलेखों में अलग से (पृथक रजिस्टर में) सहायक हथकरघा बुनकर के रूप में दर्ज हो। IV. मात्र उन्हीं लाभार्थियों को मानदेय हेतु पात्र माना जायेगा, जो मानदेय हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत आवेदन करते हैं।
	आवेदन की प्रक्रिया	I. मानदेय की सुविधा प्राप्त करने लिये लाभार्थी को शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार निर्धारित प्रारूप-14 (परिशिष्ट 'ग-1') पर आवेदन-पत्र सम्बन्धित समिति के सचिव/सभापति को प्रस्तुत करना होगा। II. सम्बन्धित समिति के सचिव/सभापति द्वारा आवेदन-पत्र का समुचित परीक्षण करने के उपरान्त पात्र आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा। III. अग्रसारण-पत्र हेतु प्रारूप-17(अ) (परिशिष्ट 'ग-2') निर्धारित है। जिसके साथ अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन-पत्रों की सूची भी संलग्न की जायेगी। सूची हेतु प्रारूप-17(ब) (परिशिष्ट 'ग-3') निर्धारित है।
	आवेदन-पत्र का प्रसंस्करण	
	प्राप्त आवेदन-पत्र पर परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर	I. परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन-पत्र का विवरण योजनान्तर्गत सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। इस हेतु जनपदवार अलग-अलग रजिस्टर तैयार किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,इ :अतस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

से अपेक्षित प्रक्रियायें	<p>जायेंगे।</p> <p>II. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा आवेदन-पत्रों की पात्रता का परीक्षण/मूल्यांकन द्वि-सदस्यीय परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कराया जायेगा।</p> <p>III. परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों की सूची (बैंक-खाता एवं अपेक्षित वित्तीय सहायता के विवरण सहित) परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय (मुख्यालय) को प्रेषित की जायेगी।</p>
परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची पर मुख्यालय स्तर से अपेक्षित प्रक्रियायें	<p>I. मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित योजनाधिकारी द्वारा राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित करायी जायेगी। उक्त बैठक में परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची कमेटी के परीक्षणार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।</p> <p>II. राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों के पक्ष में अनुमोदित धनराशि का बजट स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा।</p> <p>III. शासन की स्वीकृति के उपरान्त कोषागार से धनराशि आहरित कर लाभार्थी के पक्ष में मानदेय की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।</p>
लाभार्थी को वित्तीय सुविधा के वितरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु समय-सीमा	<p>I. लाभार्थी सहायक कर्मी द्वारा सम्बन्धित समिति के सभापति/सचिव को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना - माह अगस्त के प्रथम सप्ताह तक</p> <p>II. पात्र आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित समिति के सभापति/सचिव द्वारा सम्बन्धित परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को आवेदन-पत्र उपलब्ध कराना - माह सितम्बर तक</p> <p>III. परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की बैठक - माह अक्टूबर तक</p> <p>IV. राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक - माह नवम्बर तक</p> <p>V. शासन द्वारा धनराशि व्यय की स्वीकृति - माह दिसम्बर तक</p> <p>VI. लाभार्थी के बैंक-खाते में अनुदान राशि का अन्तरण -माह जनवरी तक</p>
परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	<p>I. प्रभारी अधिकारी,सम्बन्धित बुनकर सेवा केन्द्र - सदस्य</p> <p>II. परिक्षेत्रस्तरीय सहायक आयुक्त,हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - संयोजक</p>
राज्यस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	<p>I. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय - अध्यक्ष</p> <p>II. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग - सदस्य</p> <p>III. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर- सदस्य</p> <p>IV. प्रबन्ध निदेशक, यूपिका कानपुर- सदस्य</p> <p>V. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान- सदस्य कानपुर</p> <p>VI. प्रबन्ध निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर, कानपुर -सदस्य</p> <p>VII. वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0- सदस्य</p> <p>VIII. संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0-सदस्य</p> <p>IX. योजनाधिकारी, वस्त्र नीति क्रियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0- सदस्य</p>

संलग्नक: - यथोक्त।

भवदीय,

(बी0 पी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,इ : अतस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-5/2018/1263(1)/2018,तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
- 5- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, माल एवेन्यू,लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी० पी० सिन्धु)
संयुक्त सचिव।